उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2-729 / ग्यारह–9(235) / 12–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(133)–2015

लखनऊः दिनांकः 01 जून, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक एवं अनुसूची–दो में दिनांक 02 जून, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैंः–

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची–एक में, कम संख्या–52 पर दी गयी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"52– सभी प्रकार के फुटवियर जिसमें हवाई चप्पल एवं इनके स्ट्रैप भी सम्मिलित हैं, जिनका प्रति जोड़ी अधिकतम फुटकर मूल्य तीन सौ रूपये से अधिक न हो, बशर्ते फुटवियर पर ही अधिकतम फुटकर मूल्य अमिट रुप से चिन्हित या उभरा हो।"

(ख) उक्त अनुसूची–दो में, भाग–क में, कम संख्या 83 पर दी गयी प्रविष्टि निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र वीर सिंह)

विशेष सचिव।